

7/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरिहित
तहसीलदार मंडल से कमीशनरी रिपोर्ट
प्राप्त हुई। वकील वादी की बहस
सुनी गयी। पाद वादी स्वीकार किया
जाकर कमीशनरी रिपोर्ट के अनुसार
वादी का पद डिक्ली किया जाता है। निर्णय
पृथक से टंकित किया गया। पत्रावली
के लल श्रुमा (लेक नम्बर से कह है) 